



कार्यालय प्रभावीय वनाधिकारी, तयई पूर्वी वन प्रभाव, हल्द्वानी

शीशमवाय वन परिसर, जेल रोड, हीसनगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfotez rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 2792 / 12-1

हल्द्वानी, दिनांक 04-12-2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहननाथ गोस्वामी मेमोरियल, मिनी स्टेडियम, लालकुआँ के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०-FP/UK/Others/21599/2016)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8बी./यू.सी.पी./09/60/2021/एफ0सी0/94 दिनांक-22.04.2021 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-4791/12-1 दि०-07.06.2021, पत्रांक-271/12-1 दि०-19.07.2021, पत्रांक-359/12-1 दि०-26.07.2021, पत्रांक-1439/12-1 दि०-15.09.2021, पत्रांक-1555/12-1 दि०-24.09.2021 तथा पत्रांक-2268/12-1 दिनांक-28.10.2021।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल के पत्रांक-713/यु०क०/श०मो०ना०गो०-मिनी स्टे०/2021-22 दि०-29.10.2021 द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है।

क.सं.	EDS	आपत्ति का निराकरण / आख्या
1	राज्य सरकार से अनुरोध है कि उनके द्वारा Mini Stadium के निर्माण हेतु Standard design की प्रति उपलब्ध करायी जाये क्योंकि Open ground for sports activities हेतु 4.60 हे० क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कि अत्यधिक प्रतीत होता है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 10-11 खेल विधाओं में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अतः प्रस्तावित मिनी स्टेडियम में एथलेटिक्स ट्रेक व अन्य खेल विधाओं के आयोजन व प्रशिक्षण हेतु सुविधाएँ विकसित करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। राज्य में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित स्टेडियमों का निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) देहरादून के द्वारा मानकों के अनुरूप तैयार साइट प्लान जिसके अनुसार मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु कुल प्रस्तावित क्षेत्र 4.99 हे० का सदुपयोग किस प्रकार एथलेटिक ट्रेक व अन्य खेल विधाओं के आयोजन एवं प्रशिक्षण में किया जायेगा। उक्त साइट प्लान को ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड किया गया है। area calculation प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित किया गया है। (संलग्न-1)
2	प्रस्तावित क्षेत्र के समीप ही पर्याप्त मात्रा में Open Ground उपलब्ध है। उसमें भी Mini	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक

	<p>Stadium का निर्माण किया जा सकता है।</p>	<p>विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 29.07.2021 को प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि उक्त प्रस्तावित मिनी स्टेडियम के उत्तर में आई0टी0बी0पी0 परिसर (वन भूमि हस्तान्तरण), पश्चिम में इण्डियन ऑयल डिपो तथा सैन्चुरी पल्प एण्ड पेपर की आवासीय कॉलोनी (लीज पर आवंटित वन भूमि) एवं दक्षिण में वन विकास निगम उत्तराखण्ड को प्रकाष्ठ डिपो भण्डारण हेतु लीज पर आवंटित वन भूमि तथा पूरब में आई0टी0बी0-बिन्दुखत्ता सम्पर्क मार्ग स्थित है। अतः उक्त संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के आस-पास विकल्प के रूप में अन्य कोई खाली भूमि उपलब्ध नहीं है। उक्त संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड की गयी है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित किया गया है। (संलग्न-2)</p>
3	<p>The proposal is for non site specific activities and entire area falls in reserve forest area with enumeration of 365 trees involve in the proposal. State Govt. is requested to select some other land other than forest and having less no. of trees for the purpose.</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के निर्माण हेतु अन्य कोई सिविल, सिविल-सोयम एवं वन पंचायत भूमि उपलब्ध नहीं है तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी भी परियोजना हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र द्वारा दिया गया है जिसे ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड किया गया है। प्रस्तावित वन भूमि में 365 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा निर्माण कार्य के दौरान न्यूनतम वृक्षों का पातन किये जाने का प्रयास किया जायेगा। न्यूनतम वृक्षों का पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड किया गया है। प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-3)</p>
4	<p>It is seen that habitation exists at three side of proposed area. Dfo may verify whether any kind of encroachment is there.</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में उपप्रभागीय वनाधिकारी, गौला द्वारा चयनित स्थल के निरीक्षण में यह पाया गया है कि चयनित स्थल के उत्तर में सैन्चुरी पल्प एवं पेपर मिल में कार्यरत कर्मचारियों के आवास हैं। सैन्चुरी पल्प एवं पेपर मिल, लालकुआँ को वन विभाग द्वारा उक्त भूमि 30 वर्षों हेतु लीज पर दिया गया है। चयनित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है।</p>
5	<p>Details of alternative not provided at Para D in part-I. The detail and comments of State Govt. are requested to be furnished to be guideline in this regard which is as follows: "Diversion of forest land for non site specific projects: A number of proposal for diversion of forest land for non site specific project like, Industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash,</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु सिविल, सिविल-सोयम एवं वन पंचायत भूमि तथा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण ही प्रस्तावित वन भूमि का चयन किया गया। सम्बन्धित जिलाधिकारी भी परियोजना हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र द्वारा दिया गया है जिसे ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड किया गया है।</p>

	<p>rehabilitation, of displace persons, etc. received by the central Govt. Attention is drawn to item 1(iv) and 8 of the Form 'A' in which the proposal is to be submitted by the state Govt, in these columns, justification for locating the project in the forest area. Giving details of the alternatives examined and reason for there rejection has to be furnished.</p> <p>Normally, there should not be any justification for locating non site specific projects on forest land. Therefore, the State Govt. should scrutinize the alternatives in more details and must give complete justification establishing its inescapability for locating the project in forest area.</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मा० मुख्यमंत्री द्वारा उक्त मिनी स्टेडियम के निर्माण किये जाने की घोषणा शहीद मोहन नाथ गोस्वामी, निवासी-लालकुआँ के नाम पर की गयी है। शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के परिजनों तथा क्षेत्रीय जनता द्वारा लालकुआँ के समीप ही उक्त मिनी स्टेडियम के निर्माण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।</p> <p>अतः उपरोक्त कारणों से ही मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु उक्त प्रस्तावित वन भूमि चयनित की गयी है। प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-4)</p>
6	<p>Sub division level committee (SDLS) meeting proceeding of Nainital and Haldwani found uploaded but complete area marked in Haldwani forest division as per Part II. State Govt. may clarify.</p>	<p>उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल जनपद नैनीताल के अन्तर्गत होने के कारण जिलाधिकारी, नैनीताल की वन अधिकार अधिनियम-2006 से सम्बन्धित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की गयी है। साथ ही प्रस्तावित स्थल उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी के क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी की वन अधिकार अधिनियम-2006 से सम्बन्धित खण्ड स्तरीय समिति की बैठक की गयी है। वन अधिकार अधिनियम-2006 से सम्बन्धित उक्त प्रमाण-पत्रों को ऑनलाईन Part-1, Para K(1)(a) में अपलोड कर दिया गया है।</p>
7	<p>FRA certificate of DM is dated 10.08.2016 however SDLC meeting of Haldwani held on 11.06.2019. State Govt. may clarify this and provide the correct information document.</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित जिलाधिकारी की वन अधिकारी अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक 17.07.2021 को पुनः आयोजित करायी गयी तथा वन अधिकार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी पुनः निर्गत किया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित संशोधित प्रमाण-पत्रों को ऑनलाईन Part-1, Para K(1)(a) में अपलोड कर दिया गया है। सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न-5)</p>
8	<p>As per DSS analysis. 8 ha area found in MDF. DFO may inspect the area and submit inspection report or a certificate mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated or not. If not, than the plantation scheme as per guidance dt. 8.11.2017 may be submitted, DFO may also submit the feasibility of plantation in proposed steep slope of CA area.</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है। जिसका घनत्व 0.40 से कम है तथा उक्त क्षेत्र में 1000 पौध प्रति है० वृक्षारोपण किया जा सकता है।</p> <p>प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग की निरीक्षण आख्या तथा प्रमाण-पत्र संलग्न है तथा जिन्हे ऑनलाईन Part-1, Additional information details में अपलोड कर दिया गया है। प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-6)</p>
9	<p>As per detail at para 8 (ii) proposed land is part of Shivalik Elephant Reserve. Dfo may</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में मुख्य वन जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र को ऑनलाईन Part-1, Additional information details में</p>

	verify whether any approval applied or taken from CWLF/ NBWL.	अपलोड कर दिया गया है। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-7)
10	Details of 356 trees uploaded in Part II in para-4 wherein 171 trees show between 0 to 30 cm however details 356 trees shown in enumeration list wherein no tree falls in 0 to 30 cm. Detail of other class also do not match. State Govt. may clarify this discrepancy and submit correct information in this regard.	परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित 4.9962 हे० वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में किये गये संयुक्त स्थलीय निरीक्षण तथा गणना के अनुसार कुल विद्यमान 454 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों में से प्रभावित वृक्षों की संख्या 356 पायी गयी। प्रभावित होने वाले वृक्षों का विस्तृत विवरण प्रपत्र-15 तदानुसार संशोधित कर संलग्न है। (संलग्न-8)
11	CA site suitability certificate and aerial distance certificate not found uploaded. Which is required to be submitted uploaded.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र तथा प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ वन्य जीव अभ्यारण्य / राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र को ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड कर दिया गया है। प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-9)
12	Land schedule not countersigned by DFO. State Govt. may submitted uploaded the land schedule duly countersigned by concerned DFO.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है तथा प्रस्ताव में प्रपत्र-11, पृष्ठ सं० 22 के रूप में संलग्न है एवं ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड किया गया है। प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-10)
13	Area mentioned in DFO's SIR is 3.90 ha. Further comments against para 5.3 not submitted. State Govt. may submitted the SIR of DFO mentioned the correct area and providing comments against para 5.3 of SIR.	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित Site inspection report संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न-11)
14	DFO has not submitted his comments is SIR as the area falls in Shivalik Elephant Revised. DFO may also provide his comments in the SIR.	संशोधित Site inspection report में अधोहस्ताक्षरी की टिप्पणी सम्मिलित की गई है। रिपोर्ट संलग्न है। (संलग्न-12) SIR ज्ञातलक्षित भाग II में अपलोड की गयी है

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुवार आख्या एवं संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मवदीय
(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक- 2792 / 12-1 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक- 2792 / 12-1 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल को उनके पत्रांक-713/यु0क0/श0मो0ना0गो0-मिनि स्टे0/2021-22 दि0-29.10.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

Annex - 1

AREA CALCULATION

Sl.No.	Description	Main Area			Around Area For Ventilation and Utilities 30-40%	Gross Area	
		LENGTH	WIDTH	QTY			
1	OFFICE BUILDING	24.61	15.38	378.50	113.55	492.05	
2	HOSTEL BOYS	30.80	16.10	495.88	148.76	644.64	
3	HOSTEL GIRLS	30.80	16.10	495.88	148.76	644.64	
4	MULTIPURPOSE HALL	56.70	65.40	3708.18	1483.27	5191.45	
5	400 MTR. ATHLETIC TRACK WITH FOOTBALL GROUND	200.00	110.00	22000.00	2200.00	24200.00	
6	MULTIGAME FIELD	100.00	64.00	6400.00	0.00	6400.00	
7	PARKING	114.00	15.00	1710.00	684.00	2394.00	
8	INTERNAL ROAD	114.00	4.50	513.00	0.00	513.00	
		100.00	4.50	450.00	0.00	450.00	
		40.00	4.50	180.00	0.00	180.00	
		419.00	4.50	1885.00		1885.50	
9	PRACTICE CRICKET PITCH	35.00	12.00	420.00	0.00	420.00	
10	SITTING STAND FOR MULTI GAME FIELD	60.00	7.20	432.00	0.00	432.00	
11	BOUNDARY WALL	1212.00	0.23	278.76	0.00	278.76	
						44126.04	SQM
	ADD 10% EXTRA					4412.60	
						48538.64	SQM
						4.85	HECTARE
						5.00	HECTARE

Asstt. Resident Engineer
Construction Unit
Uttarakhand Pevjal Nigam
Dehradun


Resident Engineer
Construction Unit
Uttarakhand Pevjal Nigam
Dehradun

Project Manager
Temp. Const. Unit (Khet)
Uttarakhand Pevjal Nigam
Dehradun.

Dist. Youth Welfare &
P.V.D. Officer, Nainital.

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 29.07.2021 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा सं0-257/2018 "बिन्दुखत्ता में शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम पर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा" हेतु 4.9962 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु युवा कल्याण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के पत्रांक-359 दिनांक 26.07.2021 के क्रम में वन विभाग, राजस्व विभाग व युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुये जिसमें वन विभाग से वन क्षेत्राधिकारी गौला श्री आर0पी0 जोशी, राजस्व विभाग से श्री मनोज सिंह रावत राजस्व उप निरीक्षक लालकुंआ युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग से श्री राजदीप पंत क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी उपस्थित रहे। युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 विभाग को शहीद मोहननाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया, प्रस्तावित भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है।



"प्रस्तावित क्षेत्र के समीप ही पर्याप्त मात्रा में Open Ground उपलब्ध है उसमें भी मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा सकता है, राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विस्तृत टीप प्रस्तुत करें"

उक्त प्रेषित प्रस्ताव पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बिन्दु सं0-02 पर उक्त आपत्ति लगाई गयी है आपत्ति के निराकरण हेतु आज दिनांक 29.07.2021 को संयुक्त निरीक्षण में प्रस्तावित वन भूमि के उत्तर में I.T.B.P. परिसर (वन भूमि हस्तान्तरित) दक्षिण में वन विकास निगम उत्तराखण्ड का प्रकाष्ठ डिपो भण्डारण हेतु लीज पर आवंटित वन भूमि पूरब में

SRJ


Handwritten signature and initials.


Handwritten signature and initials.


Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.


I T B P, बिन्दुखत्ता सम्पर्क मार्ग एवं आबादी, पश्चिम में इण्डियन ऑयल डिपो से लालकुआँ 25 एकड़ मार्ग तथा आवासीय प्रयोजन हेतु सेचुरी पेपल मिल को लीज पर दी गयी वन भूमि है, अतः शहीद मोहननाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम हेतु प्रस्तावित भूमि के आस-पास विकल्प के रूप में कोई खाली भूमि उपलब्ध नहीं है, प्रस्तावित भूमि का विधिक स्तर आरक्षित वन है, तथा तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौला रेंज में लालकुआँ वन ब्लॉक के नाम से अवस्थित है।



 29/07/2021
 वन क्षेत्राधिकारी
 गौला वन क्षेत्र
 तराई पूर्वी वन प्रभाग, इल्हासी


 29/07/2021



 29/07/2021
 (राजदीप पंत)
 जिला युवा कल्याण प.
 राष्ट्रीय रक्षक वन अभिकार
 विकास कर्म इल्हासी


मनोज सिंह रावत
 रा. 30 लि. क्षेत्र.. लालकुआँ...
 तहसील लालकुआँ
 (नेनीताल)


 29/07/2021
 राजस्व निरीक्षक
 तहसील लालकुआँ
 (नेनीताल)



 29/7/21
 जिलाधिकारी
 लालकुआँ (नेनीताल)

C.S.
 20/08/21
 S.M.U.
 H.W.
 वरचना मजिस्ट्रेट
 इल्हासी (नेनीताल)


 जिलाधिकारी
 तराई पूर्वी वन प्रभाग
 इल्हासी


 वन प्रशासक
 (गौला)
 तराई पूर्वी वन प्रभाग, इल्हासी.

Distt. Youth Welfare &
 P.V.D. Officer, Nainital



 जिलाधिकारी
 नेनीताल


प्रपत्र-17.1


परियोजना का नाम:- शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम का निर्माण।


न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।



Distt. Youth Welfare &
P.V.D. Officer, Nainital


प्रमाणित किया जाता है
शहीद मोहन नाथ गोस्वामी
मेमोरियल मिनी स्टेडियम
का निर्माण


एच कोवाधिकारी
एनिला
शहीद पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी


उप प्रशासकीय अधिकारी
(गोल)
शहीद पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

PROPOSED OFFICE BUILDING FOR MINI STADIUM AT BINDU KHATTA, LALKUAN, DISTT. NAINTAL




Distt. Welfare &
P.V.D. Officer, Nainital

GROUND FLOOR PLAN
PLINTH AREA - 318.82 SQ.MT.

<p>PROJECT TITLE: Uttrakhand Peyjal Nigam LALKUAN, DISTT. NAINTAL</p>	<p>Asstt. Resident Engineer Construction Unit Uttrakhand Peyjal Nigam Dehradun</p>	<p>Project Manager SCALE: Const. Unit (Ratio) Uttrakhand Peyjal Nigam DATE: Dehradun.</p>	<p>ARCHITECTS: AAKAR ARCHITECTS 1ST FLOOR, DEV BHOMI COMPLEX, HARDWAR ROAD RISHIKESH PH: 0135-233001, 245001 Email: ard@akarchitects.com WEB: www.akarchitects.com</p>
<p>GROUND FLOOR PLAN</p>		<p>NOTES: ALL DIMENSIONS ARE IN MM DIMENSIONS ARE TO READ NOT TO BE MEASURED</p>	<p>UNIT (KHE), NIGMAN WING UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM</p>

PROPOSED OFFICE BUILDING FOR MINI STADIUM AT BINDU KHATTA, LALKUAN, DISTT. NAINITAL



Distt. Young Welfare &
P.V.I. Officer, Nainital

FIRST FLOOR PLAN
PLINTH AREA - 318.82 SQ.MT.

Asstt. Resident Engineer
Construction Unit
Uttarakhand Pwajal Nigam
Dehradun

Resident Engineer
Construction Unit
Uttarakhand Construction Agency
Dehradun
UNIT (EHEL)
NIGMAN WING
UTTARAKHAND PRY JAL NIGAM

PROJECT TITLE: PROPOSED OFFICE BUILDING FOR MINI STADIUM AT BINDU KHATTA, LALKUAN, DISTT. NAINITAL	SHEET TITLE: FIRST FLOOR PLAN	DATE: Dehradun.
ARCHITECTS: ANKAR ARCHITECTS 1ST FLOOR, DEV BHOMI COMPLEX, HARDWAR ROAD BHARHESH PH: 0136-916001, 240801 Email: ankararchitects@gmail.com, WEB: www.ankarch.com	Project Manager Uttarakhand Pwajal Nigam	DR: Dehradun.

NOTES:
ALL DIMENSIONS ARE IN MM
DIMENSIONS ARE TO READ NOT TO BE MEASURED

Uttarakhand Pwajal Nigam

Uttarakhand Pwajal Nigam


Uttarakhand Pwajal Nigam

Uttarakhand Pwajal Nigam

Uttarakhand Pwajal Nigam

Uttarakhand Pwajal Nigam

PROPOSED M.P.H. FOR MINI STADIUM AT BINDU KHATTA, LALKUAN, DISTT. NAINITAL



GROUND FLOOR PLAN

Asstt. Resident Engineer
Construction Unit
Uttarakhand Pwaj Nigam
Dehradun

Resident Engineer
Construction Unit
Uttarakhand Pwaj Nigam
Dehradun

PROJECT TITLE:
PROPOSED M.P.H. FOR MINI STADIUM AT BINDU
KHATTA, LALKUAN, DISTT. NAINITAL

SHEET TITLE:
GROUND FLOOR PLAN

SCALE:
DATE:
NOTES:
ALL DIMENSIONS ARE IN MM
DIMENSIONS ARE TO READ NOT TO BE MEASURED

PROJECT MANAGER:
M. Talwar, Const. Unit
Uttarakhand Pwaj
Dehradun.

ARCHITECTS:
AAKAR ARCHITECTS
1ST FLOOR, DEV BHOOMI COMPLEX,
HARIWAR ROAD RISHIKESH
PH: 0135-2435081, 2436001
Email: architectsaakar@gmail.com,
WEB: www.aakararch.com

SHEET NO
AR/01

Distt: Youth Welfare &
P.O.D. Officer, Nainital.




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROPOSED M.P.H. FOR MINI STADIUM AT BINDU KHATTA, LALKUAN, DISTT. NAINITAL



FIRST FLOOR PLAN

Asstt. Resident Engineer
Construction Unit
Uttarakhand Pwajal Nigam
Dehradun

Resident Engineer
Construction Unit
Uttarakhand Pwajal Nigam
Dehradun

PROPOSED M.P.H. FOR MINI STADIUM AT BINDU KHATTA, LALKUAN, DISTT. NAINITAL

PROJECT TITLE: FIRST FLOOR PLAN
SHEET TITLE: FIRST FLOOR PLAN
NOTES: ALL DIMENSIONS ARE IN MM
DIMENSIONS ARE TO READ NOT TO BE MEASURED

SCALE: N.T.S.

DATE:

Project Manager
Uttarakhand Pwajal Nigam
Dehradun

DRAWN BY: Anup, Const. Unit (Khel)
ARCHITECTS:
Uttarakhand Pwajal Nigam
Dehradun

SHEET NO. 1/10

ARCHITECTS:
Uttarakhand Pwajal Nigam
Dehradun
1ST FLOOR, DEV BHOOMI COMPLEX,
HARIDWAR ROAD RISHIKESH
PH: 0135-2435061, 2436081
Email: architectssakar@gmail.com,
WEB: www.sakararch.com

Distt. Youth Welfare &
P.V.D. Officer, Nainital.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

प्रपत्र- 23.2

परियोजना का नाम:- शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम का निर्माण।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
जिला स्तरीय समिति, नैनीताल।

जिला स्तरीय समिति नैनीताल उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु (4.9962 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 4.9962 है० वन भूमि) का जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (नैनीताल) की दिनांक 13.7.21 को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरण:-


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति (नैनीताल) की बैठक श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी नैनीताल स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।


- 1- श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी नैनीताल, अध्यक्ष।
- 2- श्री संदीप कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी, सचिव/सदस्य।
- 3- श्री दीपाकर विद्यवाण, जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल सचिव/सदस्य।
- 4- श्री डॉ. मोहन लाल, जिला पंचायत सदस्य, 22 जंगी बगर, सचिव/सदस्य।


जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 4.9962 है० वन भूमि जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्रामसभा दुम्काबंगर बच्ची धर्मा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद नैनीताल के अन्तर्गत उक्त मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 4.9962 है० वन भूमि जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


22 जंगी बगर
सदस्य
जिला पंचायत नैनीताल


प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल



जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
नैनीताल


प्रपत्र-11


परियोजना का नाम:- शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम का निर्माण।



लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई(मी०)	चौड़ाई(मी०)	क्षेत्रफल (हे०)
नैनीताल	तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	गौला राजि	हन्दुचौड़ बीट सं०-6	437.50	114.20	4.9962


Distt. Forest Officer, Welfare &
P.V.D. Officer, Nainital


वन क्षेत्र अधिकारी
गौला
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी


वन प्रभाग अधिकारी
(गौला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.



प्रभागीय वन अधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

प्रपत्र-5

परियोजना का नाम-

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from जिला युवा कल्याण, स्व. शा. रो. द. अधिकारी, भैरानगर for diversion under FCA-1980) of 4.9962 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for Construction of श्री श्री गौरीनाथ गौरीमाता प्रिनी स्टेडियम. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated - 07-11-2021.

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forest measuring 4.9962 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4 Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of- नहीं

5.5 Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required- नहीं

- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

The proposed land fall in ^{Shivalik} Elephant Reserve. Recommended for approval in Public Interest.

Place- होशियार
Date- 7-11-2021

Name- (संदीप कुमार)
Designation- D.F.O.
Office Seal पुर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी.

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC datted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.